न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

नारायण बनाम गीता बाई

किस्म मुकदमा धारा-225 मि.नं. 96/2018 सन

अभिभाषक अपीलान्ट [illegible] अभिभाषक रेस्पोडेन्ट [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो. अनुपस्थित। ~~उपस्थित।~~ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर/ रेस्पो की तलबी करायी जाकर यह पत्रावली दिनांक 23/8/24 को पेश हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
23.8.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट एवं अभिभाषक अपीलांट को रुक रुक कर तीन बार आवाजे लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में रेस्पो. 3-4 के नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. आदिनांक तक पेश नहीं किये गये हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदमहाजरी में खारिज भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

(भागवन्ती जैठवानी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
झालावाड़ (राज0)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय केम्प झालावाड़ (राज0)

अपील संख्या /2018

1. नारायण
2. राधेश्याम

पिसरान जुझार जाति मेहर निवासी कुण्डला तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0 .....अपीलान्टस्

बनाम

1. गीताबाई बैवा जुझार
2. प्रेम बाई
3. अनुसुईया बाई

पुत्रिया जुझार जाति मेहर निवासीगण कुण्डला तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0.....

.....रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय तथा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.06.2018 उपखण्ड अधिकारी गंगधार जो दावा संख्या /2018 उनवानी गीताबाई बनाम नारायण वगैराह में पारित किया गया।

माननीय

निवेदन है कि रेस्पाडेन्ट नं. 1 लगायत 3 ने अपीलान्टस् के खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गंगधार के यहा ग्राम कुण्डला की आराजी खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1216 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353/2 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1352/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा में अपने हिस्से के बंटवारा व प्राप्त करने कब्जा बाबत दावा दिनांक 24.05.2018 को पेश किया। जिसमे प्रतिवादीगण (अपीलान्टस्) की तलबी हेतु दिनांक 20.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प पारापीपली में नियत की गयी। तथा दिनांक 20.06.2018 को ही राजस्व लोक अदालत केम्प पारापीपली में वादीगण के उपस्थित होने से एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने उसी दिन दिनांक 20.06.2018 को ही कानून के खिलाफ निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न कारणो से अपील पेश कर रहा है:–

1. यह कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधी विरूद्ध हैं, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष के विपरित है, जो अपास्त होने योग्य है।
2. यह कि मातहत न्यायालय ने बिना अपीलान्टस् को सुने राजस्व लोक अदालत केम्प पारापीपली में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी की जो प्रकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।
3. यह कि मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है।
4. यह कि अपीलान्ट ने दिनांक 22.06.2018 को अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने अदालत में जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला की दिनांक 20.06.2018 को अपीलान्ट के खिलाफ राजस्व लोक अदालत केम्प पारापीपली में

निरन्तर–2 पर

राधेश्याम नारायणलाल